प्रेस-विज्ञप्ति 27.12.2017

विषय: मर्चेंट्स चैम्बर द्वारा GSTN टीम के निर्यात के कानून, नियम व् प्रक्रिया सम्बंधित सजीव-प्रसारण

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा निर्यात के रिफण्ड सही व् समुचित रूप से न मिल पाने के कारण आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 को सरपदमपत सिंघानिया सभागार में निर्यात प्रक्रिया से सम्बंधित रिफण्ड मिलने की क्रिया-विधि का सजीव-प्रसारण का आयोजन किया गया।

1 घंटे की अवधि में GSTN पोर्टल की प्रवक्ता सुश्री कल्याणेश्वरी पाटिल, AVP (सर्विस), द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। सुश्री पाटिल ने GSTN पोर्टल पर login रिफण्ड के आवेदन की प्रक्रिया पर कर फाइल करने की क्रिया-विधि मुख्य रूप से बताया। GST में रिफण्ड 4 तरह से रिफण्ड प्राप्त किया जा सकता है: **प्रथमतः** निर्यात से सम्बंधित रिफण्ड जो IGST भुगतान करके किया गया है अथवा निर्यात की गयी वस्तु में IGST समाहित है। **द्वतीयतः** यदि निर्यात IGST न जमा करके किया गया है। **तृतीयतः** आरोपित (कर, ब्याज अथवा अर्थदण्ड) GST की धनराशि यदि जमा की गयी है और अपीलों से वह धनराशी छूट जाती है। **चतुर्थतः** इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में GST की राशि यदि किसी गलत मद में स्थानांतरित हो गयी है तो उस GST में अधिक धनराशी का रिफण्ड प्राप्त किया जा सकता है।

सुश्री पाटिल ने बताया कि अभी पोर्टल पर सिर्फ निर्यात से सम्बंधित रिफण्ड की व्यवस्था की गयी है। एक्सपोर्ट रिफण्ड के लिए पूर्णरूप से ऑनलाइन रिफण्ड प्रार्थना-पत्र अपलोड करना होगा। रिफण्ड की प्रार्थना करने के लिए निम्न आवश्यकताए है:

1: उस माह का GSTR-1 दाखिल होना चाहिए जिसमें निर्यात की गयी वस्तु का विवरण, शिपिंग बिल को प्रस्तुत करना होगा तथा GSTN पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

2: मांगे जा रहे माह का रिफण्ड भी दाखिल होना चाहिए।

3: शिपिंग बिल को निर्यात का प्रमाण माना जाएगा।

4: रिफण्ड प्रार्थना-पत्र में निस्तारण की प्रक्रिया के लिए केन्द्रीय GST के अधिकारी अथवा प्रांतीय GST के अधिकारी दोनों कीई सुविधा की गई है। पोर्टल पर निर्यातक व्यापारी को केन्द्रीय GST अथवा प्रांतीय GST के विभाग को चुनना होगा तथा GST रिफण्ड की जांच की लिए व्यापारी को अधिकारी के समक्ष मूल अभिलेख तथा दस्तावेज का सत्यापन कराना होगा अधिकारी द्वारा रिफण्ड उपयुक्त दस्तावेज की जांच करने के बाद पोर्टल की माध्यम से निर्यातक व्यापारी को उनके दिए गए Bank अकाउंट में रिफण्ड की धनराशी प्राप्त हो जायेगी।

वेबिनार में मुख्य रूप से मर्चेंट्स चैम्बर द्वारा गठित GST कमिटी के चैयरमैन एवं सत्र के संचालनकर्ता- अधिवक्ता संतोष कुमार गुप्ता, सलाहकार- सी.ए. धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव तथा मर्चेंट्स चैम्बर के सचिव श्री ए.के. सिन्हा, अधिवक्ता- सुनील त्रिवेदी, टैक्स तथा कर सलाहकार आदि उपस्थित थे।

सधन्यवाद

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश